नागरिक विविध

आर.एस. नरूला से पहले, जे.जे

चरण सिंह-याचिकाकर्ता.

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1969 की सिविल रिट संख्या 982

22 दिसंबर 1969.

पंजाब सहकारी समिति अधिनियम (1961 का XXV)-धारा 2 (बी) 23 (1) 24,26 (1) और (2) और 85-पंजाब सहकारी समिति नियम, 1963-नियम 8 और 22-मॉडल उपनियम 30 (i) और 30 (iv) सहायक पंजीयक को पदेन सदस्य होने और प्रबंध समिति द्वारा दो सदस्यों के सह-विकल्प का प्रावधान-क्या अधिनियम की धारा 26 के विपरीत-ऐसा निगम-क्या आम निकाय द्वारा चुनाव द्वारा किया जाना है न कि प्रबंध समिति द्वारा।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 की धारा 26 किसी सहकारी समिति के प्रबंधन समिति के संपूर्ण गठन का उपबंध करने के लिए अभिप्रेत नहीं है। धारा 26 की उपधारा (1) में केवल इतना ही कहा गया प्रतीत होता है कि जहां तक किसी समिति के निर्वाचक पदों को भरने का संबंध है, यह निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन होगा अर्थात्:-(1) कोई भी व्यक्ति ऐसे चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह समिति का अंशधारक न हो और (2) ऐसा सदस्य अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति से चुना जाना चाहिए। धारा 26 (1) की सरल और असंदिग्ध भाषा का इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि उसमें से किसी सहकारी समिति की प्रबंधन समिति में सभी सीटों को विशेष रूप से निर्धारित तरीके से चुने गए सोसायटी के शेयरधारकों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया जाए। अधिनियम या पंजाब सहकारी समिति नियम, 1963 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी विशेष समिति के उपनियमों में सदस्यों के कुछ वर्गों के लिए प्रावधान करने पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें निर्वाचित या नामित किया जाता है और जिन्हें प्रबंधन समिति में लाया जाता है। अतः सहकारी समिति की प्रबंध समिति द्वारा दो सदस्यों के सह-विकल्प का उपबंध करने वाला आदर्श उपनियम 30 (iv) अधिनियम की धारा 26 के अधिकार से बाहर नहीं है।

अभिनिर्धारित किया गया कि उपनियम 30 (i) के उपबंध सहकारी समितियों के सहायक पंजीयक के लिए पदेन सदस्य के रूप में समिति में स्थान आरक्षित करना इस आधार पर वैध है कि सहायक पंजीयक की नियुक्ति उपनियमों के अधीन प्राधिकृत है और आगे इस आधार पर कि धारा 26 (1) केवल निर्वाचित निदेशकों से संबंधित है

माना जाता है कि वह उपनियम 30 (iv) विशेष रूप से प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा किए जा रहे सह-विकल्प का प्रावधान करता है न कि सामान्य निकाय द्वारा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक निर्वाचक प्रक्रिया द्वारा सह-विकल्प 'चुनाव' वाक्यांश द्वारा कवर किया गया है, लेकिन धारा 26 (1) के लिए आवश्यक है कि चुनाव निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए। सामान्य निकाय द्वारा चुनाव के लिए निर्धारित तरीका संभवतः प्रबंध समिति द्वारा सह-विकल्प के प्रयोजनों के लिए चुनाव पर लागू नहीं किया जा सकता है और इसलिए उप-कानून 30 (iv) के तहत प्रबंध समिति द्वारा दो सदस्यों का सह-विकल्प पूरी तरह से मान्य है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि उपनियम 30 (4) और उपनियम 30 (1) को अधिकार से बाहर घोषित करते हुए एक समुचित रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए और इन नियमों को इसके अधीन तैयार किया जाए और आगे यह प्रार्थना की जाए कि प्रत्यर्थी सं. 5 और 6 को सोसायटी की प्रबंध समिति के सदस्यों के रूप में अपास्त किया जाए और 7 अगस्त, 1969 के उस प्रस्ताव को, जिसमें उनका सह-चयन किया गया था, निरस्त किया जाए और यह भी प्रार्थना की जाए कि सहायक पंजीयक का

समिति के पदेन सदस्य के रूप में नामांकन भी अपास्त किया जाए और 7 अप्रैल, 1969 के आक्षेपित प्रस्ताव का प्रवर्तन, जिसमें सह-चयन प्रत्यर्थी सं. प्रबंध समिति के 5 और 6 पर अंतरिम रोक लगाई जाए और रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक, प्रत्यर्थी सं. 5 और 6 को सोसायटी की किसी भी बैठक में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाए।

कुलदिप सिंह, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं की ओर से।

एस. गुप्ता, अधिवक्ता, 1 से 3 उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता-सामान्य (हरियाणा) के लिए।

के. एस. सैनी, अधिवक्ता, उत्तरदाता 5 और 6 के लिए।

निर्णय

नरूला, जे. -संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस याचिका में निर्णय की मांग करने वाला एकमात्र बिंदु यह है कि घरौंदा सहकारी विपणन-सह-प्रसंस्करण सोसायटी लिमिटेड के उपनियमों के उपनियम 30 (i) और 30 (iv), जो नीचे उद्धृत किए गए हैं, पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) की धारा 26 (1) के अधिकार से बाहर हैं या नहीं। - "30. सोसायटी की प्रबंध समिति का गठन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगाः - (i) सहायक पंजीयक पदेन।

(ii) (iii) (iv) प्रबंध समिति द्वारा दो से अधिक समिति सदस्यों का सह-चयन नहीं किया जाएगा। ऐसे सदस्यों का सह-चयन करते समय, प्रबंध समिति कृषि या विपणन विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकती है।

(v)

धारा 26 की उपधारा (1) और अधिनियम की उस धारा की उपधारा (2) का खंड (क) निम्नानुसार उपबंध करता हैः- "26. (1) सहकारी समिति की समिति के सदस्य निर्धारित रीति से चुने जाएंगे और कोई भी व्यक्ति तब तक इस प्रकार नहीं चुना जाएगा जब तक कि वह समिति का शेयरधारक न हो।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, - (क) जहां सरकार ने किसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी की अभिदान की है, वहां सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को समिति में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो उसके सदस्यों की कुल संख्या के तीन या एक तिहाई से अनधिक न हो, जो सरकार अवधारित करे, नामित करने का अधिकार होगा;

धारा 26 की शेष सामग्री न तो सामग्री है और न ही उस सटीक मुद्दे को तय करने के लिए प्रासंगिक है जो नीचे उल्लिखित परिस्थितियों में मेरे सामने उत्पन्न हुआ है। चौधरी चरण सिंह याचिकाकर्ता के विद्वत वकील श्री कुलदीप सिंह का मुख्य तर्क यह है कि सोसायटी के उपनियमों के उपनियम 30 में उपर्युक्त उपबंध अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) की अनिवार्य अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे उपबंध करते हैं-(i) सहायक पंजीयक उस पद के लिए चुने बिना और सोसाइटी का अंशधारक बने बिना प्रबंध समिति का पदेन सदस्य बन जाता है; और (ii) प्रबंध समिति द्वारा दो सदस्यों का सह-चयन किया जाता है जो केवल सोसायटी की आम बैठक में आयोजित की जाने वाली प्रबंधन समिति के सदस्यों (नामित सदस्यों के अलावा) के चुनाव के बारे में अधिनियम की धारा 26 (1) की अपेक्षाओं के विपरीत है।

इस याचिका को दायर करने वाले तथ्यों पर अब संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

प्रत्यर्थी 4 अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। इस निर्णय में, मैं इसे सोसायटी के रूप में संदर्भित कर रहा हूं। इसकी प्रबंधन समिति का गठन उपनियम 30 में प्रदान किया गया है, जिसका विवादित हिस्सा इस फैसले के पहले पैराग्राफ में पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। जब सोसायटी की प्रबंधन समिति के अन्य सभी सदस्यों की एक बैठक दो सदस्यों के सह-चयन के लिए निर्धारित की गई थी, तो याचिकाकर्ता द्वारा 4 अप्रैल, 1969 को इच्छित सह-विकल्प कार्यवाही पर लिखित आपत्ति जताई गई थी। आपत्तियों के बावजूद, बैठक 7 अप्रैल, 1969 को

आयोजित की गई थी, और उनके सह-विकल्प के खिलाफ कुछ आपत्तियों के बावजूद, उत्तरदाता 5 और 6 (मुन्ना सिंह और जेल पॉल) को प्रबंध समिति द्वारा सह-चुने जाने के लिए चुना गया था,-प्रबंध समिति की बैठक की कार्यवाही के पैराग्राफ 4 के अनुसार, जिसकी एक प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक 'ए' है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने सहकारी समितियों, हरियाणा के पंजीयक से इस आधार पर विवादित उप-कानूनों को हटाने के लिए संपर्क किया था कि सहायक पंजीयक के पदेन सदस्य होने और कुछ सदस्यों के सह-विकल्प का प्रावधान करने वाले इसी तरह के उप-कानूनों को पंजाब सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत माना गया था और पंजाब राज्य में उस सरकार द्वारा 21 फरवरी, 1969 (अनुलग्नक 'बी') को सहकारी समितियों के पंजीयक के पत्र द्वारा रद्द कर दिया गया था। हालाँकि, हरियाणा के अधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा किए गए उक्त अभ्यावेदन से सहमत नहीं थे। यह याचिका 17 अप्रैल, 1969 को सोसायटी के उपनियम 30 (i) और 30 (iv) को उस अधिनियम के अधिकार से बाहर घोषित करने के लिए और इसके परिणामस्वरूप प्रस्ताव को अपास्त करने के लिए, अनुलग्नक 'क' (उत्तरदाताओं 5 और 6 का सह-चयन) और समिति के पदेन सदस्य के रूप में सहकारी समितियों के सहायक पंजीयक के नामांकन को रद्द करने के लिए भी दायर की गई थी।

(3) उत्तरदाता 1 से 3, जो हरियाणा राज्य, सहकारी समितियों के पंजीयक, हरियाणा और सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों, हरियाणा हैं, ने उन्हें जारी किए गए नियम पर रिटर्न के माध्यम से सहायक पंजीयक श्री सुनेहरी लाई का हलफनामा दायर किया है। इस बात से इनकार किया गया है कि आक्षेपित उपनियम अधिनियम की धारा 26 (1) की आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हैं। यह कहा गया है कि पंजाब सरकार सही स्थिति के बारे में निश्चित नहीं थी और इसलिए, इसी तरह के उपनियमों को रद्द करते हुए, अनुबंध 'बी' जारी किया था; लेकिन सही स्थिति यह है कि सदस्यों को "निर्धारित तरीके से" चुनाव द्वारा समिति में नियुक्त किया जाना है और चूंकि उपनियमों के साथ पढ़े गए नियमों के तहत निर्धारित तरीके से सह-चुने गए सदस्यों को समिति द्वारा चुना जाता है, न कि सामान्य निकाय द्वारा; उत्तरदाता 5 और 6 के चुनाव में कुछ भी गलत नहीं है।

(4) पक्षकारों के लिए विद्वत वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को समझने के लिए अधिनियम और पंजाब सहकारी समिति नियम, 1963 के कुछ प्रावधानों, जिन्हें इसके बाद 1963 नियम कहा जाता है, और सोसायटी के कुछ उपनियमों पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है। अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में 'समिति' को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है 'किसी सहकारी समिति का शासी निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, जिसे समाज के मामलों का प्रबंधन सौंपा गया है'। सहकारी समितियों के प्रबंधन के लिए प्रावधान अधिनियम के अध्याय टीवी में निहित हैं जो धारा 23 से शुरू होता है और धारा 29 के साथ समाप्त होता है। धारा 23 की उपधारा (1) की परिधि में कहा गया है कि किसी सहकारी समिति में अंतिम अधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय में निहित होगा। उस उप-धारा के परंतुक में समाज के प्राधिकरण को उसके उपनियमों के अनुसार प्रत्यायोजित करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 24 अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान करती हैः -

"24. एक सहकारी समिति की आम बैठक वर्ष में एक बार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आयोजित की जाएगीः -

(ख) समिति के मनोनीत सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का चुनाव, यदि कोई हो;

धारा 25 समाज की विशेष आम बैठकें बुलाने से संबंधित है। धारा 26 का प्रासंगिक भाग, जिससे हम सीधे संबंधित हैं, पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। धारा 85 (1) राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से किसी भी सहकारी समिति या ऐसी समितियों के वर्ग के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। उस धारा की उपधारा (2) उन मामलों की सूची देती है जिनके लिए उस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों में उपबंध किया जा सकता है। धारा 85 की उपधारा (2) का खंड (iv) निम्नलिखित शब्दों में हैः-"85. (2) (iv) वे मामले जिनके संबंध में सोसाइटी उप-नियम बना

सकती है या बनाएगी और उप-नियमों को बनाने, बदलने और निरस्त करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसी बनाने, परिवर्तन या निरस्तीकरण से पहले संतुष्ट की जाने वाली शर्तों के लिए।

खंड (x) तब कहता है-"85। (2) (x) धारा 26 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समितियों के सदस्यों का निर्वाचन और नामनिर्देशन, अधिकारियों की नियुक्ति या निर्वाचन और सदस्यों और अन्य अधिकारियों का निलंबन और निष्कासन, और समितियों और अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और किए जाने वाले कर्तव्यों के लिए।

धारा 85 की उपधारा (3) से अपेक्षा की जाती है कि धारा 85 के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष तब रखा जाए जब वह कुल दस दिनों की अवधि के लिए सत्र में हो और आगे यह उपबंध किया गया है कि नियम केवल ऐसे उपांतरणों, यदि कोई हों, जो विधानमंडल के दोनों सदन कर सकते हैं, के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। यह प्रावधान अधिनियम की धारा 85 के तहत बनाए गए नियमों को उसी आधार पर रखता है जिस पर अधिनियम के विधायी प्रावधान स्वयं खड़े हैं -

(5) 1963 के नियम अधिनियम की धारा 85 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे। नियम 8 में उन मामलों की सूची है जिनके संबंध में सहकारी समिति उपनियम बनाने के लिए बाध्य है। यह याद रखा जाएगा कि धारा 85 की उपधारा (2) के खंड (iv) में दो प्रकार के उपनियम निर्दिष्ट किए गए थे। (i) जिसे एक समाज बना सकता है और (ii) जिसे एक समाज बनाएगा। नियम 8 में उल्लिखित मामले अनिवार्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नियम 8 के उपनियम (1) के खंड (i) और (k) इस प्रकार हैंः –

(1) एक सहकारी समिति निम्नलिखित मामलों के संबंध में उपनियम बनाएगीः -

(1) आम बैठक और ऐसी बैठक की प्रक्रिया और शक्तियां;

(ट) समिति का गठन और उसकी बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया;

नियम 8 के उपनियम (1) के परंतुकों में कहा गया है-"बशर्ते कि यदि पंजीयक की राय में, किसी सहकारी समिति के उपनियमों में खंड (i) और (ट) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में उपबंध नहीं हैं या इन मामलों के संबंध में अपर्याप्त उपबंध नहीं हैं, तो परिशिष्ट ख में विनिर्दिष्ट उपबंध ऐसे समाज पर इस प्रकार लागू होंगे मानो ये धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपनियमों का भाग रहे होंः

परन्तु यह और कि यदि पूर्वोक्त मामलों और परिशिष्ट ख में अंतर्विष्ट उपबंधों के संबंध में सोसाइटी द्वारा बनाए गए उपविधि में कोई विसंगति है, तो सोसाइटी के उपविधि वहां तक प्रबल होंगे जहां तक वे परिशिष्ट ख में अंतर्विष्ट उपबंधों के साथ असंगत हैं।

वर्तमान विवाद का निर्णय करने के लिए परिशिष्ट बी में निहित मॉडल उपनियमों का कोई संदर्भ आवश्यक नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि सोसाइटी द्वारा "समिति के गठन" के संबंध में उपनियम 30 बनाया गया है और नियम 8 का दूसरा परंतुक परिशिष्ट बी में निहित मॉडल उपनियमों के विरुद्ध सोसायटी द्वारा बनाए गए विशिष्ट उपनियमों को प्रभावी बनाता है। नियम 9 प्रत्येक सहकारी समिति को नियम 8 और धारा 10 के प्रावधानों के अधीन समय-समय पर अपने उपनियमों में संशोधन करने के लिए अधिकृत करता है। नियम 22 में समाज की आम बैठक की शक्तियाँ शामिल हैं। उस नियम के खंड (बी) को इसके शुरुआती भाग के साथ इस प्रकार पढ़ा जाता हैः -

"22. धारा 24 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केवल साधारण सभा को निम्नलिखित कार्य करने की शक्ति होगीः

(ख) नामनिर्देशित सदस्यों के अतिरिक्त समिति के सदस्यों का निर्वाचन, निलंबन और निष्कासन; बशर्ते कि समिति की अंतरिम रिक्ति को चुनाव होने तक समिति के शेष सदस्यों द्वारा सह-विकल्प द्वारा भरा जा सकेः

सोसायटी के उपनियमों के उपनियम 4 (जिसकी एक प्रति सुनवाई के समय प्रत्यर्थियों के लिए पक्षपाती वकील द्वारा प्रस्तुत की गई है और मेरे द्वारा अनुलग्नक आर-1 के रूप में चिह्नित की गई है) में सोसायटी के उद्देश्यों की एक सूची है। सोसायटी का पहला उद्देश्य 'मुख्य रूप से अपने सदस्यों के कृषि उत्पादों के भंडारण और विपणन की व्यवस्था करना' है। उपनियम 5 के खंड (क) में उन व्यक्तियों की सूची है जिनके लिए सोसायटी की सदस्यता खुली है। इस उपनियम के खंड (ख) में सहकारी समितियों या निगमों की एक सूची है जो समाज के सदस्यों के रूप में प्रवेश के लिए भी पात्र हैं। उपविधि 5 के खंड (ग) में कहा गया हैः-"(ग) सहायक पंजीयक सहकारी समितियाँ, कमल, कोई दायित्व वहन किए बिना या कोई हिस्सा रखे बिना पदेन सदस्य होंगे।"

उपनियम 23 समाज के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में समाज के सदस्यों के सामान्य निकाय में अंतिम अधिकार निहित करता है, जब तक कि उपनियमों में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। उपविधि 28 के खंड (I) में कहा गया है कि उपविधि 27 के सामान्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सामान्य निकाय के पास "प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्यों के चुनाव, निलंबन और निष्कासन" की शक्ति सहित विभिन्न शक्तियां और कर्तव्य होंगे। उपनियम 30, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, प्रबंध समिति के गठन को संदर्भित करता है। इसमें पाँच वस्तुएँ हैं। सहायक पंजीयक को पहले मद के तहत पदेन सदस्य बनाया जाता है। दूसरी श्रेणी में "तीन समिति सदस्य होते हैं जिन्हें व्यक्तिगत शेयरधारकों में से आम बैठक द्वारा चुना जाता है।" प्रबंध समिति के सदस्यों की तीसरी श्रेणी में "समितियों के प्रतिनिधियों में से सामान्य निकाय द्वारा चुने जाने वाले तीन समिति सदस्य" शामिल होते हैं। खंड (iv) जो सह-विकल्प प्रदान करता है, पहले ही शब्दशः उद्धृत किया जा चुका है^ उपनियम 30 का खंड (v) समिति के अधिकतम तीन सदस्यों से संबंधित है जिन्हें अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) के तहत सरकार द्वारा नामित किया जा सकता है। उपनियम 32 में प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया है और एक तिहाई सदस्य बारी-बारी से सालाना सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसमें आगे यह प्रावधान है कि यदि एक वर्ष के दौरान कोई रिक्ति है, तो इसे प्रबंधन समिति द्वारा सह-विकल्प द्वारा भरा जाएगा। उपनियम 32 (ए) इस प्रकार हैः- "32., (क)"; साधारण निकाय द्वारा प्रबंध समिति का निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाएगा जो कुलसचिव द्वारा बनाए जाने वाले निर्वाचन नियमों में विहित की जाए।

उपनियम 35 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्रबंध समिति की बैठकों में भी प्रबंध समिति के प्रत्येक सदस्य के पास केवल एक वोट होगा। अंतिम उपनियम, जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, 52 है। यह उपनियमों के संशोधन के लिए निम्नलिखित तंत्र प्रदान करता हैः-"52. इन उपनियमों में कोई भी संशोधन सामान्य निकाय की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार नहीं किया जाएगा, जिसके बारे में संशोधनों पर चर्चा करने के इरादे की उचित सूचना दी गई हैः

बशर्ते कि ऐसा कोई भी संकल्प तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि इसे

(6) श्री. कुलदिप सिंह ने स्वयं स्वीकार किया कि चुनाव शब्द इतना व्यापक है कि इसके दायरे में 'एक वैकल्पिक प्रक्रिया द्वारा सह-विकल्प' शामिल है। यद्यपि इस मामले के अभिवचनों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है, दोनों पक्ष मेरे समक्ष सहमत हैं कि यह विवाद में नहीं है कि उत्तरदाता 5 और 6 सोसायटी के शेयरधारक हैं। श्री कुलदीप सिंह का तर्क है कि एकमात्र प्रक्रिया जिसके द्वारा सह-चयनित सदस्यों का चुनाव किया जाना है, वह 1963 के नियमों के नियम 22 के साथ पठित अधिनियम की धारा 24 (ख) में निहित प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में, वह जो प्रस्तुत करता है वह यह है कि केवल सामान्य निकाय की बैठक में ही सह-चुने गए सदस्यों का चुनाव किया जाता है और सह-चुने गए सदस्यों के चुनाव के लिए उप-नियमों में प्रबंध समिति के अन्य सदस्यों द्वारा किया गया

प्रावधान अवैध है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, अधिनियम की धारा 26 (1) में चुनाव की प्रक्रिया के अलावा किसी को भी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है।

एल. सहायक पंजीयक को समिति का पदेन सदस्य बनाए जाने पर अतिरिक्त आपत्ति यह है कि वह अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं करता है कि कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने का पात्र नहीं है, जब तक कि वह समिति का शेयरधारक न हो। दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि सहायक पंजीयक को उपविधि 30 (i) में अंतर्विष्ट उपबंध के कारण पदेन सदस्य * बनाया गया है न कि धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन सरकार के नामनिर्देशित के रूप में। श्री कुलदीप सिंह उमराव सिंह बनाम पंजाब राज्य, शमशेर बहादुर, जे. और मेरे द्वारा इस न्यायालय की डिवीजन बेंच 1 के निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियों से इस संबंध में अपनी दलीलों के लिए बल प्राप्त करना चाहते हैं। उमराव सिंह के मामले में जो कुछ कहा गया था, वह यह था कि प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्यों को सोसायटी की आम बैठक में चुना जाना है और उन्हें क्षेत्रीय बैठकों में अलग से नहीं चुना जा सकता है; और अधिनियम की धारा 77, जो राज्य सरकार को किसी भी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के किसी वर्ग को अधिनियम के किसी भी प्रावधान से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा छूट देने के लिए अधिकृत करती है, और जो राज्य सरकार को यह निर्देश देने के लिए अधिकृत करती है कि अधिनियम के कुछ प्रावधान ऐसे समाजों या समाजों के वर्ग पर लागू होंगे, जिसमें सरकार के आदेश में निर्दिष्ट संशोधन हो सकते हैं, अत्यधिक प्रतिनिधित्व के कलंक से ग्रस्त हैं और इसलिए यह असंवैधानिक है। मेरा मानना है कि उमराव सिंह के मामले में इस अदालत का फैसला याचिकाकर्ता के लिए ज्यादा मददगार नहीं है, क्योंकि यहां सवाल व्यक्तिगत शेयरधारकों में से तीन समिति सदस्यों या अन्य समितियों के प्रतिनिधियों में से तीन समिति सदस्यों के चुनाव के बारे में नहीं है। यदि उपविधि 30 के खंड (iv) में निहित प्रबंध समिति द्वारा सह-विकल्प की अपेक्षा करने वाला उपबंध वैध है, तो इस तर्क को कायम रखना असंभव है कि प्रबंध समिति द्वारा सह-विकल्प सामान्य निकाय द्वारा किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि दो से अधिक समिति सदस्यों को सह-चयन करने के लिए प्रबंध समिति को दी गई शक्ति कृषि या विपणन विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के विचार से निर्देशित होती है। यह उक्त अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए है कि सोसायटी के उपविधि में निहित प्रथम उद्देश्य को प्रत्यर्थियों के वकील द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

(7) एकमात्र अन्य मामला जिसका संदर्भ श्री कुलदीप सिंह को दिया गया है, वह तुली, जे., का हाल ही में अप्रकाशित निर्णय है।

धरम सिंह राठी बनाम हरियाणा राज्य, आदि। .. हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ की प्रबंध समिति के सदस्यों के चुनाव पर धरम सिंह राठी ने तीन आधारों पर सवाल उठाया था-(1) केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा सात निदेशकों का चुनाव वार्षिक आम बैठक में होना चाहिए था न कि विभिन्न जिलों में केंद्रीय सहकारी बैंकों की बैठकों में; (2) कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 26 (2) (ए) के तहत राज्य सरकार के नामित के अलावा निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता था; और (3) कि एक काली राम (उस रिट याचिका में प्रतिवादी 9) का हरियाणा राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ के नामित के रूप में बैंक के निदेशक के रूप में नामांकन वैध नहीं था।

प्रबंधन समिति (जिसे उस मामले में निदेशक मंडल कहा जाता है) के गठन का उपबंध बैंक के विधि 30 (1) द्वारा निम्नलिखित शर्तों में किया गया थाः-(1) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, हरियाणा, इस नामनिर्देशित व्यक्ति के लिए होगा।

(11) हरियाणा राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ के एक नामित निदेशक।

(111) हरियाणा सरकार द्वारा तीन से अधिक नामनिर्देशित नहीं। निदेशक मंडल में सरकारी नामांकित व्यक्ति तभी तक बने रहेंगे जब तक बैंक की शेयर पूंजी में सरकारी योगदान बना रहता है।

(112) संबद्ध केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाने वाले सात निदेशक इस प्रावधान के अधीन होंगे कि जिले के केंद्रीय वित्तपोषण संस्थानों के प्रतिनिधियों में से एक से अधिक निदेशक का चुनाव नहीं किया जाएगा।

विद्वान न्यायाधीश ने उमराव सिंह के मामले में पहले खंड पीठ के फैसले के अधिकार पर धरम सिंह राठी के पहले तर्क को प्रबल करने की अनुमति दी। हालांकि, दोनों अन्य विवादों को खारिज कर दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 26 (1) केवल निर्वाचित निदेशकों से संबंधित है और जहां तक बैंक के उपनियम 5 का उपबंध है कि सहकारी समितियों का पंजीयक या उसका नामनिर्देशित कोई अंश धारण किए बिना या कोई दायित्व वहन किए बिना पदेन सदस्य होगा और उपनियम 30 बशर्ते कि पंजीयक या उसका नामनिर्देशित निदेशक मंडल के सदस्यों में से एक होगा, यह नहीं कहा जा सकता है कि निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में पंजीयक की नियुक्ति अमान्य थी। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि पंजीयक या उसका नामित व्यक्ति अपने आप में बैंक का सदस्य और निदेशक है, न कि राज्य सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में। इसी तरह, चुनाव की किसी भी प्रक्रिया के अलावा और केवल हरियाणा राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड द्वारा बैंक के उपनियमों के उपनियम 30 (I) (ii) के तहत काली राम को निदेशक के रूप में नामित करने और उनकी नियुक्ति को बरकरार रखा गया था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में श्री कुलदीप सिंह द्वारा मेरे समक्ष प्रचार किए गए मुख्य बिंदुओं के संबंध में न्यायमूर्ति तुली का निर्णय उनके विरुद्ध जाता है।

(8) मैं प्रत्यर्थियों 1 से 3 के लिए विद्वत अधिवक्ता श्री बी. एस. गुप्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों के साथ इस आशय से पर्याप्त सहमति रखता हूं-(क) कि अधिनियम की धारा 26 (1) में किसी सहकारी समिति की प्रबंधन समिति का संपूर्ण संविधान शामिल नहीं है, बल्कि केवल निर्वाचित सदस्यों से संबंधित हैः और (ख) जहां तक प्रबंध समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा उपबंध किया गया है, वहां भी ऐसे चुनाव का तरीका (जिसमें अनिवार्य रूप से वह निकाय शामिल है जिसे उन्हें चुनना है) अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रदान किया जाना छोड़ दिया गया है, क्योंकि धारा 26 (1) विशेष रूप से 'निर्वाचित' शब्द को 'निर्धारित तरीके से' वाक्यांश द्वारा योग्य बनाती है और 'विहित' शब्द अधिनियम की धारा 2 (i) में निहित इसकी परिभाषा के आधार पर इंगित करता है।

धारा 26 का तात्पर्य किसी सहकारी समिति के प्रबंधन समिति के संपूर्ण गठन के लिए भी नहीं है। धारा 26 की उपधारा (1) में केवल इतना ही कहा गया प्रतीत होता है कि जहां तक किसी समिति में निर्वाचक पदों को भरने की बात का संबंध है, यह निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन होगा-(1) कोई भी व्यक्ति ऐसे चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह सोसायटी का अंशधारक न हो; और (2) ऐसा सदस्य अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से चुना जाना चाहिए।

मैं धारा 26 (1) की सरल और असंदिग्ध भाषा का इस तरह से अर्थ निकालने में असमर्थ हूं कि उसमें से सहकारी समिति की सभी सीटों को विशेष रूप से निर्धारित तरीके से चुने गए समाज के अंशधारकों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया जाए। इसलिए, हमें उन व्यक्तियों की योग्यता और अयोग्यता की सीमा, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए कहीं और देखना चाहिए जो कानूनी रूप से एक समिति के सदस्य बन सकते हैं। धारा 24 और 26 (1) निर्वाचित सदस्यों पर लागू होती हैं। धारा 26 (2) उस प्रावधान के अंतर्गत आने वाले मामलों में नामित सदस्यों के लिए प्रावधान करती है। अधिनियम या 1963 के नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी विशेष समाज के उपनियमों में सदस्यों के कुछ वर्गों के लिए प्रावधान करने पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें निर्वाचित या नामित किया जाता है और जिन्हें प्रबंधन समिति में लाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि एक सहकारी समिति का समग्र अधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय में निहित है जैसा कि अधिनियम की धारा 23 (1) में प्रावधान किया गया है। किसी सोसायटी के उपनियमों के साथ-साथ उसमें बाद में किए गए संशोधनों को सहकारी समितियों के पंजीयक के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए। समाज के उपनियमों में इसका संविधान होता है और ऐसे सभी उपनियमों को पंजीयक द्वारा पंजीकृत किया जाना चाहिए जो अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के विपरीत नहीं हैं। इसी प्रकार, उपनियमों के संशोधन के लिए प्रत्येक प्रस्ताव पंजीयक को

प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि वह यह सत्यापित कर सके कि प्रस्तावित संशोधन अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के विपरीत नहीं है और सहकारी सिद्धांतों के साथ टकराव में नहीं आता है। नियम 9 विशेष रूप से एक सोसायटी को समय-समय पर अपने उपनियमों में संशोधन करने के लिए भी अधिकृत करता है। यहां तक कि 1963 के नियमों (नियम 8 में निर्दिष्ट) के परिशिष्ट 'ख' में निहित मॉडल उपनियम V में उपनियम 10 शामिल है जिसमें कहा गया है कि पंजीयक या उसका प्रतिनिधि किसी भी समय सहकारी समिति की समिति की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। लेकिन मॉडल उपनियम यह स्पष्ट करते हैं कि रजिस्ट्रार को तब तक वोट देने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि उसे विशेष सोसायटी के उपनियमों के तहत अनुमति नहीं दी जाती है।

(9) अधिनियम की योजना और उसके विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने के बाद, मैं यह सोचने के लिए इच्छुक हूं कि एक सहकारी समिति की प्रबंधन समिति में (i) निर्वाचित सदस्य शामिल होने चाहिए जिनके लिए धारा 26 (1) लागू होगी; (ii) धारा 26 (2) के अंतर्गत आने वाले मामलों में नामित सदस्य और उसमें निहित प्रतिबंधों के अधीन; (iii) समिति के अन्य सदस्यों को समिति के वैध और पंजीकृत उपनियमों द्वारा निर्धारित उसके संविधान के अनुसार लाया गया; और (iv) अंतरिम या आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए 1963 के नियमों के नियम 22 (बी) के प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए समिति के जीवित सदस्यों द्वारा समिति में सह-चुने गए सदस्य।

यह प्रतिवादी सोसायटी के उपनियम 32 के तहत तत्काल मामले में भी अधिकृत है।

जहां तक सहकारी समितियों के सहायक पंजीयक को पदेन सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी समिति की समिति में स्थान आरक्षित करने के उपविधि 30 (1) के उपबंधों का संबंध है, धरम सिंह के मामले में न्यायमूर्ति तुली का निर्णय भी श्री कुलदीप सिंह के विरुद्ध जाता है। विद्वान न्यायाधीश ने हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ के निदेशक मंडल के पंजीयक की नियुक्ति के विरुद्ध उस मामले में धरम सिंह राठी की दलील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पंजीयक की नियुक्ति हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के उपनियमों के अधीन प्राधिकृत है। (ख) संबंधित सोसाइटी और आगे इस आधार पर कि धारा 26 (1) केवल निर्वाचित निदेशकों से संबंधित है. मैं इस मामले में तुली, जे. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हूं। इसके अलावा उपनियम 30 (i) उपनियम 5 (ग) में निहित विशिष्ट प्रावधान के भीतर है जिसकी वैधता को चुनौती नहीं दी गई है।

(10) काली राम का नामांकन, प्रतिवादी नं। 9 धरम सिंह राठी के मामले में, केवल इसलिए भी बरकरार रखा गया था क्योंकि इस तरह के नामांकन का प्रावधान सोसायटी के उपनियमों में मौजूद था, जिससे वह मामला संबंधित था। मैं धरम सिंह राठी के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से बाध्य हूं। अन्यथा भी, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता का विद्वान वकील प्रत्यर्थी सोसायटी के उपनियमों के उपनियम 30 (iv) में किसी भी घातक दोष या किसी भी अयोग्यता को इंगित करने में सक्षम नहीं है।

(11) श्री कुलदीप सिंह द्वारा उत्तरदाता 5 और 6 के चुनाव का आक्षेप करते हुए अंतिम निवेदन यह था कि भले ही प्रासंगिक उप-कानून, जिसके तहत उन्हें नियुक्त किया गया है, वैध है, उन्हें चुनाव द्वारा सामान्य निकाय द्वारा सह-चुना जाना था न कि स्वयं प्रबंध समिति द्वारा। मैं इस निवेदन से इस साधारण कारण से सहमत नहीं हो सका हूं कि प्रासंगिक उपनियम, जिसकी वैधता मैंने पहले ही बरकरार रखी है, विशेष रूप से प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा किए जा रहे सह-विकल्प का प्रावधान करता है न कि सामान्य निकाय द्वारा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक निर्वाचक प्रक्रिया द्वारा सह-विकल्प 'चुनाव' वाक्यांश द्वारा कवर किया गया है, लेकिन धारा 26 (1) के लिए आवश्यक है कि चुनाव निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए। सामान्य निकाय द्वारा चुनाव के लिए निर्धारित तरीका संभवतः प्रबंध समिति द्वारा सह-विकल्प के उद्देश्यों के लिए चुनाव पर लागू नहीं किया जा सकता है।

(12) हालांकि मैं श्री कुलदीप सिंह की किसी भी दलील से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं एक और बिंदु से भी सहमत नहीं हूं, जिसे उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री बी. एस. गुप्ता द्वारा दिए जाने की मांग की गई थी। राम चंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य में मेरे फैसले का उल्लेख करते हुए, वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता स्वयं प्रतिवादी सोसायटी का निदेशक होने के नाते इसके उपनियमों की वैधता का विरोध नहीं कर सकता है। मैं राम चंदर सिंह के मामले में अपने फैसले से ऐसा कोई प्रस्ताव देने में असमर्थ हूं। जब मैंने उस निर्णय में कहा कि एक

सहकारी समिति के निदेशक समाज के सामान्य निकाय द्वारा पारित प्रस्तावों से बाध्य होते हैं, तो मैंने अगले वाक्य में जोड़ा कि निदेशक सामान्य निकाय द्वारा पारित प्रस्तावों को समाज के अधिकार से बाहर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वे केवल सामान्य निकाय के प्रतिनिधि हैं और समाज द्वारा पारित प्रस्तावों की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। राम चंदर सिंह के मामले में मेरे फैसले में निहित कुछ भी इस मामले में प्रतिवादियों के लिए कोई लाभ नहीं है।

(13) मेरे सामने कोई अन्य मुद्दा नहीं था। इसलिए रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। हालांकि, मामले की विषम परिस्थितियों में, मैं पक्षों को उनकी लागत वहन करने के लिए छोड़ देता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकांक्षा सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)